



अनुलग्नक 4
(दिशानिर्देशों का पैरा 8.3)

प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास (शहरी)

प्रारूप क: स्लम पुनर्विकास के अंतर्गत शामिल किए जा रहे लाभार्थी की सूचना

1. परिवार के मुखिया का नाम
2. लिंग [पुरुष:01, महिला:02, उभयलिंगी:03]
3. पिता का नाम
4. परिवार के मुखिया की आयु
5. वर्तमान पता और संपर्क ब्यौरा
 - i. मकान सं.
 - ii. गली का नाम
 - iii. शहर
 - iv. मोबाइल संख्या
6. स्थाई पता
 - i. मकान/पलैट/द्वार सं.
 - ii. गली का नाम
 - iii. शहर/गांव
 - iv. जिला, राज्य
7. आधार कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध नहीं है तो मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण-पत्र)
8. परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु

परिवार के मुखिया से संबंध	लिंग	आयु	आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण –पत्र



9. धर्म

[हिन्दू-01, मुस्लिम-02, इसाई-03, सिक्ख-04, जैन-05,
बौद्ध-06, पारसी-07, अन्य(उल्लेख करें)]

10. जाति

[सामान्य-01, अनुसूचित जाति-02,
अनुसूचित जनजाति-03, अन्य पिछड़ा वर्ग-04]

11. क्या विकलांग हैं (हां/नहीं)

12. वैवाहिक स्थिति

(विवाहित-01, अविवाहित-02, एकल महिला/विधवा-03)

13. क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान/रिहायशी
भूमि है? (हां/नहीं)

क. यदि हां, तो स्थान का ब्यौरा दें। (बस्ती/ शहर/राज्य)

ख. यदि हां, तो वर्ग मीटर में भूमि का ब्यौरा दें।

14. विद्यमान आवास का स्वामित्व विवरण

(अपना-01, किराए का-02, अन्यथा-03)

15. परिवार की औसत मासिक आय (रूपए में)

घर के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

उपर्युक्त सूचना के शहरी स्थानीय निकाय प्रमारी के
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर



प्रारूप ख – लाभार्थी से मांगी जाने वाली सूचना*

1. परिवार के मुखिया का नाम	<input type="text"/>																
2. लिंग [पुरुष:01, महिला:02, उभयलिंगी:03]	<input type="text"/>																
3. पिता का नाम	<input type="text"/>																
4. परिवार के मुखिया की आयु	<input type="text"/>																
5. वर्तमान पता और संपर्क ब्यौरा																	
i. मकान/प्लैट/द्वार सं.	<input type="text"/>																
ii. गली का नाम	<input type="text"/>																
iii. शहर	<input type="text"/>																
iv. मोबाइल संख्या	<input type="text"/>																
6. स्थाई पता																	
i. मकान/प्लैट/द्वार सं.	<input type="text"/>																
ii. गली का नाम	<input type="text"/>																
iii. शहर/गांव	<input type="text"/>																
iv. जिला, राज्य	<input type="text"/>																
7. मौजूदा मकान का मालिकाना ब्यौरा [स्वामित्व – 01, किराया – 02, अन्य – 03]	<input type="text"/>																
8. छत के आधार पर मकान का प्रकार [पक्का (सीमेंट कंक्रीट और पत्थर वाला)–01, अर्द्ध-पक्का (सीमेंट की चादर / स्टील की चादर, टाइल से बने हुए)–02, कच्चा (धास/छप्पर, तिरपाल, लकड़ी से बना)–03]	<input type="text"/>																
9. रसोईघर को छोड़कर रिहायशी इकाई में कमरों की संख्या	<input type="text"/>																
10. आधार कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध नहीं है तो मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण-पत्र)	<input type="text"/>																
11. परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">परिवार के मुखिया से संबंध</th> <th style="width:10%;">लिंग</th> <th style="width:10%;">आयु</th> <th style="width:50%;">आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण-पत्र</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	परिवार के मुखिया से संबंध	लिंग	आयु	आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण-पत्र													
परिवार के मुखिया से संबंध	लिंग	आयु	आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण-पत्र														
12. धर्म [हिन्दू-01, मुस्लिम-02, इसाई-03, सिक्ख-04, जैन-05, बौद्ध-06, पारसी-07, अन्य(उल्लेख करें)]	<input type="text"/>																
13. जाति [सामान्य-01, अनुसूचित जाति-02, अनुसूचित जनजाति-03, अन्य पिछड़ा वर्ग-04]	<input type="text"/>																
14. बैंक का ब्यौरा																	
क. बैंक खाता संख्या	<input type="text"/>																
ख. बैंक और शाखा का नाम	<input type="text"/>																
ग. बैंक का आईएफएससी कोड	<input type="text"/>																



15. इस कस्बे/शहर में रहने की वर्षों में संख्या
 [0 से 1 वर्ष -01, 1 से 3 वर्ष- 02, 3 से 5 वर्ष- 03, 5 वर्ष से अधिक-04]
16. मौजूदा रिहायशी इकाई का आकार (कारपेट क्षेत्र-वर्ग मीटर में)
17. क्या विकलांग हैं (हां/नहीं)
18. वैवाहिक स्थिति
 (विवाहित-01, अविवाहित-02, एकल महिला/विधवा-03)
19. क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान/रिहायशी भूमि है? (हां/नहीं)
 ग. यदि हां, तो स्थान का ब्यौरा दें।
 (बस्ती/ शहर/ राज्य)
 घ. यदि हां, तो वर्ग मीटर में भूमि का ब्यौरा दें।
20. रोजगार की स्थिति
 (स्व-रोजगार - 01, वेतनभोगी - 02, नियमित मजदूरी- 03, मजदूर - 04, अन्य - 05)
21. परिवार की औसत मासिक आय (रूपए में)
22. क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है (हां / नहीं)
 क. यदि हां, बीपीएल कार्ड संख्या दें।
23. परिवार की आवास आवश्यकता
 (नया घर- 01, वृद्धि - 02)
24. वृद्धि के मामले में कृपया अपेक्षित वृद्धि का उल्लेख करें।
 [एक कमरा/रसोई घर/स्नान घर/शौचालय अथवा ये सभी संयुक्त रूप से]
25. मिशन के घटक की प्राथमिकता जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी को सहायता की आवश्यकता है
 i. ऋण से जुड़ी सब्सिडी- 01
 ii. भागीदारी में किफायती आवास- 02
 iii. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार- 03
26. संक्षिप्त आवास सूची टीआईएन (एसईसीसी से)
 (क्या सहायता लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण / विस्तार के अंतर्गत है)

परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नोट: *अपात्र स्लम वासियों और उन स्लमों के लाभार्थियों के लिए ऐसे ही प्रारूप का उपयोग किया जायेगा जिनके लिए "सभी के लिए आवास कार्यक्रम" (एचएफएपीओए) स्कीम के दिशानिर्देशों के पृष्ठ सं. 13 पर प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी) कार्य योजना के फ्लो-चार्ट प्रक्रिया के अनुसार निजी भागीदारी के माध्यम से स्लम पुनर्विकास के लिए विचार नहीं किया गया है।

उपर्युक्त सूचना के शहरी स्थानीय निकाय प्रभारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर



अनुलग्नक 5
(दिशानिर्देशों का पैरा 8.6)

प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी) कार्य योजना हेतु प्रारूप

I. स्थायी स्लमों के लिए स्लम-वार मध्यवर्ती कार्यनीतियां

स्लम का नाम	स्लम का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल के अनुसार स्लम परिवारों की कुल संख्या	पात्र स्लम परिवार	वया 'स्व-स्थान' पुनर्विकास निजी मालीदारी से किया गया है	वर्ग मीटर में 'स्व-स्थान' पुनर्विकास के लिए अपेक्षित क्षेत्र	एफएसआई/एफएआर		इस स्लम में पुनर्स्थापन के लिए यदि कोई प्रस्ताव हो तो अन्य स्लम का नाम	कार्यकलापों का प्रस्तावित वर्ष
						मीचूदा	प्रस्तावित		

नोट: *कृपया आंकड़ों के स्रोत का उल्लेख करें

II. अस्थायी स्लमों के लिए स्लम-वार कार्य-कलाप कार्यनीतियां

स्लम का नाम	स्लम का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल के अनुसार स्लम परिवारों कुल संख्या	प्रस्तावित विकास कार्यनीति	कार्यकलापों का प्रस्तावित वर्ष
			प्रस्तावित विकास कार्यनीति i. किफायती आवास परियोजना (एएवपी) ii. ऋण से जुड़ी सस्मिडी स्कीम (सीएलएसएस) iii. लाभार्थी आधारित निर्माण iv. अन्य स्थायी स्लमों के साथ जोड़ना**	

नोट: * कृपया आंकड़ों के स्रोत का उल्लेख करें

** कृपया इस मामले के अनुसार अथवा उसके संयुक्त रूप में (i), (ii), (iii) और (iv) का उल्लेख करें।



III. स्लमों में वर्ष-वार प्रस्तावित कार्यकलाप

वर्ष	लामाधियों की संख्या और अपेक्षित केन्द्रीय सहायता (करोड़ ₹0 में)																
	निजी मालीदारी के माध्यम से पुनर्विकास				लामाधियों के माध्यम से पुनर्विकास				ऋण आधारित संस्मिटी				मालीदारी में क्रियायती आवास				
	स्लमों की संख्या	लामाधियों की संख्या	राशि	राशि	स्लमों की संख्या	लामाधियों की संख्या	राशि	राशि	स्लमों की संख्या	लामाधियों की संख्या	राशि	राशि	स्लमों की संख्या	लामाधियों की संख्या	राशि	राशि	
2015-16																	
2016-17																	
2017-18																	
2018-19																	
2019-20																	
2020-21																	
2021-22																	
कुल																	

IV. मांग सर्वेक्षण पर आधारित अन्य शहरी गरीबों के लिए वर्ष-वार प्रस्तावित कार्यकलाप

वर्ष	लामाधियों की संख्या और अपेक्षित केन्द्रीय सहायता (करोड़ ₹0 में)																
	लामाधियों के माध्यम से पुनर्विकास				ऋण आधारित संस्मिटी				मालीदारी में क्रियायती आवास				कुल				
	लामाधियों की संख्या	लामाधियों की संख्या	राशि	राशि	लामाधियों की संख्या	लामाधियों की संख्या	राशि	राशि	लामाधियों की संख्या	लामाधियों की संख्या	राशि	राशि	लामाधियों की संख्या	लामाधियों की संख्या	राशि	राशि	
2015-16																	
2016-17																	
2017-18																	
2018-19																	
2019-20																	
2020-21																	
2021-22																	
कुल																	



V. विभिन्न घटकों के अंतर्गत वर्ष-वार लक्ष्य

कार्यकलाप	लक्ष्यों की संख्या और अपेक्षित केन्द्रीय सहायता (करोड़ ₹0 में)												कुल				
	2015.16		2016.17		2017.18		2018.19		2019.20		2020.21				2021.22		
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि			
निजी भागीदारी के माध्यम से पुनर्विकास																	
लक्ष्यी आधारित सस्मिटीड मौजूदा आवास का सुधार																	
व्यक्तिगत लक्ष्यों को ऋण से जुड़ी हुई सस्मिटीड																	
भागीदारी में किरायेती आवास (एएनपी)																	
कुल																	

हस्ताक्षर

(राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी)

हस्ताक्षर

(सचिव/प्रधान सचिव, संबंधित विभाग)



अनुलग्नक 6
(दिशानिर्देशों का पैरा 8.6 और पैरा 14.4)

****वर्ष के लिए वार्षिक कार्यान्वयन योजना हेतु सार पत्र**

स्वीकार्य घटक	*वर्ष के लिए लक्ष्य	*वर्ष के लिए उपलब्धि	**वर्ष के लिए लक्ष्य	सभी के लिए आवास कार्य योजना के अनुसार शेष लक्ष्य
क. लाभार्थी आधारित निर्माण				
• नए मकान				
• वृद्धि				
• उप-योग (क)				
ख. निजी क्षेत्र की भागीदारी से स्व-स्थाने स्लम पुनर्वास				
• स्लमों की संख्या				
• परिवारों की संख्या (ख)				
ग. भागीदारी में किफायती आवास (ईडब्ल्यूएस श्रेणी) (ग)				
घ. ऋण से जुड़ी सन्धि				
• ईडब्ल्यूएस परिवार				
• एलआईजी परिवार				
• उप-योग (घ)				
ड. कुल (कखगघ)				

नोट: * इस वार्षिक कार्यान्वयन योजना के वर्ष से पहले का वर्ष
** तैयार की जा चुकी वार्षिक कार्यान्वयन योजना का वर्ष



I. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण अथवा विस्तार के लिए सब्सिडी

वर्ष *	स्लम और गैर-स्लम क्षेत्र में लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण अथवा विस्तार									
	लाभार्थियों की संख्या		संसाधन जुटाव (राशि करोड़ में)				यूपली अंश (यदि लागू हो)			
	नए आवास	मौजूदा आवास का विस्तार	नए आवास	मौजूदा आवास का विस्तार	कुल लागत	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	लाभार्थी अंश	यूपली अंश (यदि लागू हो)	
2015-16										
2016-17										
2017-18										
2018-19										
2019-20										
2020-21										
2021-22										
कुल										

नोट: * कृपया उस वर्ष के लिए अनुमानित आकड़े, जिसके लिए एआईपी प्रस्तावित है और पूर्ववर्ती वर्षों हेतु उपलब्ध के वास्तविक आकड़े भरें

II. निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ स्लमवासियों का स्लम पुनर्स्थापन

वर्ष *	निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ स्लमवासियों का स्लम पुनर्स्थापन									
	स्लमों की संख्या		संसाधन जुटाव (राशि करोड़ में)				यूपली अंश (यदि लागू हो)			
	लाभार्थियों की संख्या	कुल लागत	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	लाभार्थी अंश	यूपली अंश (यदि लागू हो)				
2015-16										
2016-17										
2017-18										
2018-19										
2019-20										
2020-21										
2021-22										
कुल										

नोट: * कृपया उस वर्ष के लिए अनुमानित आकड़े, जिसके लिए एआईपी प्रस्तावित है और पूर्ववर्ती वर्षों हेतु उपलब्ध के वास्तविक आकड़े भरें



III. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में किफायती आवास

वर्ष *	भरियोजनाओं की संख्या	लागार्थियों की संख्या	सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में किफायती आवास			
			कुल परियोजना लागत (एककपी)	संसाधन जुटाव (राशि करोड़ में)	राज्य अश	यूएलबी अश (यदि लागू हो)
2015-16				केन्द्रीय अश		
2016-17						
2017-18						
2018-19						
2019-20						
2020-21						
2021-22						
कुल						

नोट: * कृपया उस वर्ष के लिए अनुमानित आंकड़े, जिसके लिए एआईपी प्रस्तावित है और पूर्ववर्ती वर्षों हेतु उपलब्ध के वास्तविक आंकड़े भरें



IV. ऋण आधारित सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए किरायेती आवास

वर्ष*	निम्न के लिए प्राप्त ऋण से जुड़ी सब्सिडी	ऋण से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से किरायेती आवास		संसाधन जुटाव (राशि करोड़ में)	
		ऋण प्राप्त लाभार्थियों की संख्या		अनुमानित ऋण	प्राप्त अनुमानित ब्याज सब्सिडी
		ई-डब्ल्यूएस	एलआईजी	ई-डब्ल्यूएस	एलआईजी
2015-16	नए आवास विस्तार (गौजूदा आवास)				
2016-17	नए आवास विस्तार (गौजूदा आवास)				
2017-18	नए आवास विस्तार (गौजूदा आवास)				
2018-19	नए आवास विस्तार (गौजूदा आवास)				
2019-20	नए आवास विस्तार (गौजूदा आवास)				
2020-21	नए आवास विस्तार (गौजूदा आवास)				
2021-22	नए आवास विस्तार (गौजूदा आवास)				
	कुल				

नोट * कृपया उस वर्ष के लिए अनुमानित आंकड़े, जिसके लिए एआईपी प्रस्तावित है और पूर्ववर्ती वर्षों हेतु उपलब्ध के वास्तविक आंकड़े भरें

हस्ताक्षर

(राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी)

हस्ताक्षर

(सचिव, मुख्य संयुक्त, संबंधित विभाग)



अनुलग्नक 7 क
(दिशानिर्देश के पैरा 14.5)

निजी भागीदार के साथ 'स्व-स्थाने' स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए प्रारूप

1	राज्य का नाम	:							
2	शहर का नाम	:							
3	स्लम का नाम	:							
4	परियोजना का नाम	:							
5	परियोजना कोड*	:							
6	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी	:							
7	कार्यान्वयन एजेंसी (शहरी स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण/आवास बोर्ड/शहरी सुधार ट्रस्ट/ निर्दिष्ट स्लम पुनर्वास एजेंसी/निजी एजेंसी/विकासकर्ता)	:							
8	राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदन की तिथि	:							
9	परियोजना लागत (लाख ₹ में)	:							
10	परियोजना की अवधि (महीनों में)	:							
11	i) स्लम की स्थिति (कृपया लिखें: 1.यदि अधिसूचित हो, 2.यदि मान्यता प्राप्त हो और 3.यदि चिह्नित हो)	:							
	ii) कुल स्लम क्षेत्र (वर्ग मी.)	:							
	iii) स्लम पुनर्वास के अंतर्गत क्षेत्र (वर्ग मी.)	:							
	iv) स्लम की जनसंख्या	:							
12	मौजूदा स्लम परिवारों की संख्या	:	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अल्पसंख्यक	
13	पात्र स्लम परिवारों की संख्या	:							
14	कारपेट क्षेत्र के साथ प्रस्तावित आवासों (केवल स्लम पुनर्वास) की संख्या	:							
15	क्या लाभार्थी का चयन पीएमएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है ? (हां/नहीं)	:							
16	क्या निजी भागीदार को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से चुना गया है? अगर हां, तो बोली की तिथि?	:							
17	निजी भागीदार के लिए प्रोत्साहन	:							
	i) क्षेत्र में मौजूदा एफएसआई	:							
	ii) परियोजना में मुहैया किया गया एफएसआई	:							
	iii) अन्य प्रोत्साहन, यदि कोई हो	:							
18	i) भारत सरकार अनुदान अपेक्षित है (1.0 लाख ₹0 प्रति पात्र स्लमवासी) (लाख ₹0 में)	:							
	ii) राज्य अनुदान, यदि कोई हो (लाख ₹0 में)	:							
	iii) यूएलबी अनुदान, यदि कोई हो (लाख ₹0 में)	:							
	iv) लाभार्थी अंश (लाख ₹0 में)	:							
	v) कुल योग (लाख ₹0 में)	:							
19	क्या आवास के लिए तकनीकी विनिर्देश/रिहायशी एकक डिजाइन भारतीय मानदंडों/एनबीसी/राज्य मानकों के अनुसार सुनिश्चित किए गए हैं?	:							
20	परियोजना में दी गई निर्माण अवधि के दौरान लाभार्थियों के लिए अस्थायी प्रबंधन का प्रकार (किराया/ट्रांजिट आश्रय)	:							
21	क्या ट्रंक अवसंरचना विद्यमान है अथवा अमृत अथवा किसी अन्य स्कीम के माध्यम से प्रदान की जा रही है (हां /नहीं)	:							



22	क्या नागरिक अवस्थापना का प्रावधान लागू राज्य मानकों/सीपीएवआईओ मानदंड/आईएस कोड/एनबीसी के अनुसार बनाया गया है? i) जलापूर्ति (हां/नहीं) ii) सीवरेज (हां/नहीं) iii) सड़क (हां/नहीं) iv) वर्षा जल नाला (हां/नहीं) v) बाहरी विद्युतीकरण (हां/नहीं) vi) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन(हां/नहीं) vii) कोई अन्य, स्पष्ट करें viii) यदि कोई अवस्थापना प्रस्तावित नहीं की गई हो, उसके कारण बतायें	:	
23	क्या आपदा (भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन आदि) रोधी विशेषताओं को परियोजना की संकल्पना, डिजाइन और कार्यान्वयन में अपनाया गया है?	:	
24	क्या गुणवत्ता आश्वासन परियोजना का भाग है, यदि नहीं है तो कैसे यह सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है?	:	
25	क्या प्रचालन और अनुरक्षण परियोजना का भाग है, यदि हां, तो कितने वर्षों के लिए है?	:	
26	क्या परियोजना के लिए बाधामुक्त भूमि उपलब्ध है, या नहीं ?	:	
27	क्या परियोजना में कोई अभिनव/लागत प्रभावी/हरित प्रौद्योगिकी अपनायी गई है ?	:	
28	डीपीआर के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के पश्चात एसएलएसी की टिप्पणियां ।	:	
29	यूएलबी/राज्य किसी अन्य सूचना सहित परियोजना सार प्रस्तुत करना चाहते हैं	:	

* राज्य पीएमएवाई-एचएफए(श) के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक परियोजना को (क,ख,ग,घ,ङ,च,छ,ज,झ,ञ,ट) रूप में कोड संख्या दी जाएगी जहां 'क, ख' जनगणना के अनुसार राज्य कोड है, 'ग,घ,ङ,च,छ,ज' जनगणना के अनुसार शहर कोड है, 'झ,ञ' शहर की परियोजनाओं की चल रही संख्या और 'ट' परियोजना घटक कोड है अर्थात् 'ट' में 1-स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास के लिए, 2-पुनर्स्थापन के लिए, 3-एचपी के लिए, 4-लाभार्थी आधारित निर्माण अथवा विस्तार के लिए होगा), 'ड' नई के लिए-एन, संशोधित के लिए-आर, क्रमानुक्रम संख्या के लिए -एम होगा जो नई के लिए ओ एवं संशोधित के लिए 1 और इसी प्रकार क्रम में होगा ।

एतद्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकाय ने पीएमएवाई-एचएफए(श) के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी लाभार्थियों की जांच कर ली है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि मिशन के ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक सहित मिशन के अंतर्गत किसी लाभार्थी को एक से अधिक लाभ के लिए नहीं चुना गया है।

मिशन अनुदानों के उपयोग के साथ पुनर्विकसित किए जा रहे सभी स्लमों की समेकित सूचना संलग्न है।

हस्ताक्षर
(राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी)

हस्ताक्षर
(सचिव, मुख्य सचिव, संबंधित विभाग)